प्रेषक

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर देहात।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 02 फरवरी, 2018**

विषय- विधान सभा क्षेत्र-207-सिकन्दरा कानपुर देहात के नव-निर्वाचित मा0 सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 की धनराशि की द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-36/2017/582/अड़तीस-9-2017-05(बजट)/2016, दिनांक-12 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सूच्य है कि उक्त शासनादेश दिनांक-12 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर-3 के अनुसार विधान सभा के 404 मा0 सदस्यों में से विधान सभा क्षेत्र-207-सिकन्दरा कानपुर देहात के मा0 सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद पाल के स्वर्गवास से रिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र को शून्य धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- उल्लेखनीय है कि विधान सभा क्षेत्र-207-सिकन्दरा कानपुर देहात से श्री अजीत सिंह पाल के मा0 सदस्य निर्वाचित होने के दृष्टिगत उक्त विधान सभा क्षेत्र की वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 87.50 लाख (रूपये सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र-207-सिकन्दरा कानपुर देहात के नव-निर्वाचित मा0 सदस्य की संस्तुति पर उनके क्षेत्र के विकास हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 87.50 लाख (रूपये सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि नोडल जनपद कानपुर देहात को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- जनपद कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि मा0 विधान सभा सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03-08-2017 में किये गये प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03-08-2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या- 4/2018/70(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
12- कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
13- निदेशक, बजट एवं विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।